भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2510

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

एनपीएस के संबंध में मांगी गई राय

2510 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विधि कार्य विभाग के दिनांक 24.11.2021 के टिप्पण के बाद उन अधिकारियों जिनकी भर्ती का विज्ञापन दिनांक 01.01.2004 से पहले जारी किया गया था, को नई पेंशन योजना के दायरे से बाहर रखने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए उक्त विभाग से आगे की टिप्पणियाँ/ स्पष्टीकरण मांगे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टिप्पणियों हेतु विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ग) दिनांक 24.11.2021 के टिप्पण के तहत स्पष्ट उत्तर नहीं देने और झूठे मुकदमों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विधि कार्य विभाग ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के समक्ष अपनी विशिष्ट और स्पष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एण्ड पीडब्लू) ने तारीख 24.11.2021 के पश्चात् विधि कार्य विभाग को तारीख 14.12.2021 तारीख 20.01.2022, तारीख 02.02.2022 और तारीख 15.02.2022 को एक निर्देश किया जो अन्य बातों के

साथ-साथ उन पदों के विरुद्ध जिन पर वें तारीख 31.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापन की तारीख के आधार पर नियुक्त किए गए थे, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अधीन उन्हें जोड़ने के लिए कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सलाह देने के लिए है और क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लिए इस संबंध में, कार्यकारी अनुदेश जारी करना विधिक रूप से साध्य है ।

(ग) से (च) : विधि कार्य विभाग ने 24.11.2021 पर यथास्थिति किसी सक्षम न्यायिक मंच द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने या किसी उच्चतर न्यायिक मंच के समक्ष उपलब्ध विधिक उपचारों को निःशेष करने की डीओपी एण्ड पीडब्लू को सलाह दी थी ।

उनके संबंध में जिन्हें 01.01.2021 से पहले निकाली गई रिक्तियों के लिए विज्ञापन/अधिसूचना के आधार पर नियुक्त किया गया था, ओपीएस के अधीन सरकारी सेवकों के कवरेज के उपबंध करने वाले कार्यकारी अनुदेशों को जारी किए जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन उनका समावेशन करने का बजाय इस विभाग ने तारीख 23.02.2022 पर डीओपी एण्ड पीडब्लू को जो कि नोडल विभाग है, इस मामले की समीक्षा और विचार करने के लिए विधि कार्य विभाग को समर्थ करने के लिए प्रथमतः वित्त मंत्रालय से टिप्पण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है ।

****